संख्या– 785/77–1–2014–34(मिस)/1999टीसी

प्रेषक,

चारू लता,

अनुसचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः–उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी कताई मिल को वित्तीय वर्ष 2014–15 में कार्यशील पूंजी हेतु रू0 4.95 करोड़ के ऋण की स्वीकृति/आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी कताई मिल को रू0 4.95 करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :–

(1)– उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी इकाई को कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल धनराशि रू0 4.95 करोड़ (रूपया चार करोड़ पन्चानवे लाख) कोषागार से दिनांक 31.03.2015 तक आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर आहरित कर उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। जहां से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जाएगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(2)– उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 (साढ़े ग्यारह) प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण (मूलधन) 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों

.....2

में ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। ऋण की पहली किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा, अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3)– उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा व उसे कोषाधिकारी, कानपुर से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा।

(4)– वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो, सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5)– कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

(6)– उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.2015 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाय। जिस बाउचर व दिनांक पर धनराशि निकाली जाय, उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाय।

(7)– प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1–2497/दस–2014–231/2014, दिनांक 22.07.2014 में जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(8)– उक्त धनराशि का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

.....3

(9)– उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष), कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :–

(क)– कोषागार का नाम।

(ख)– चालान संख्या व दिनांक।

(ग)– जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)– लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)– शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)– पिछले जमा का सन्दर्भ

(10)– ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक– "6860–उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज–आयोजनेत्तर–01–वस्त्र उद्योग–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज–04–उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड को कर्ज–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक– "6885–उद्योगों तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज–01–औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–06–औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना–30–निवेश/ऋण" की बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

.....4

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या– बी–4–96/दस–2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(चारू लता)

अनुसचिव।

संख्या– 785(1)/77–1–2014, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर।

3– कोषाधिकारी, कानपुर।

4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर।

5– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर।

6– वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2/4, उ0प्र0 शासन।

7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।

8– नियोजन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।

9– औद्योगिक विकास अनुभाग–2/6, उ0प्र0 शासन।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चारू लता)

अनुसचिव।

san/dt/bud/fin